

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 155/2019

निर्णय दिनांक 24.06.2019

उनवान

1. श्री रामजीलाल पुत्र तेजाराम जाति वैरवा निवासी माल की ढाणी बाढ बागपुरा तहसील चाकसू।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू।

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थीगण ग्राम चाकसू तहसील चाकसू में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 140, 141, 142/326, 143/327 किता 4 रकबा 1.92 हे0 भूमि नगरपालिका के नाम होने पर नगरपालिका को 90 ए के तहत समर्पित कर दिया उक्त भूमि पहिले प्रार्थी की खातेदारी में थी। इसलिये उक्त भूमि पर आवेदक का अधिकार उक्तपन्न है। दिनांक 07.07.2017 को नियमानुसार उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया। अब प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिये प्रार्थी ने पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किया जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार अनुसार सीमा पर विवाद है एवं पत्थरगढी की जा सकती बाबत रिपोर्ट आने पर वकील प्रार्थी को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 140, 141, 142/326, 143/327 किता 4 रकबा 1.92 हे0 भूमि वाके ग्राम चाकसू तहसील चाकसू की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडीसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्मलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 27.06.2019 के अनुसार
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू